न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 47 / 2020

उनवान

लालु पिता जीवा जाति सरगड़ा उम्र वयस्क निवासी आंजना तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा।

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136– भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 04.02.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 847 नया 736 पुराना के कुल सर्वे नम्बर 04 रकबा 0.14 हे0 भूमि वाके गांव आंजना तहसील अरथुना जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थी का नाम लुजा अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक और सही नाम लालु है। प्रार्थी के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजो मे भी प्रार्थी का वास्तविक नाम लालु ही अंकित है। उक्त राजस्व त्रुटी की वजह से रेकार्ड में लालु के स्थान पर लुजा अंकित कर देने से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त करना आवश्यक है। प्रार्थी ने राजस्व अधिकारीयों से कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारी ध्यान नही दे रहे है। अप्रार्थी राजस्व रेकार्ड का संधारक है और प्रार्थी ने कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा प्रार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी के खाते के राजस्व रेकार्ड मे हुई त्रुटी को दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अरथूना के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार अरथूना का जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि ग्राम आंजना की खाता संख्या 847 कुल किता 04 रकबा 0.14 हे0 भूमि लुजा पिता जीवा जाति सरगड़ा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात् जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम लालु पिता जीवा सरगड़ा दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज लुजा के स्थान पर लालु किया जाना उचित बताया।

प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने एंव प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, खाता संख्या 847 (नया) 736 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की छाया प्रतिया एंव तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन [illegible] न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम आं[illegible] का खाता संख्या 847 (नई) 736 (पुरानी) के कुल किता 04 रकबा 0.14 हे0 भूमि में दर्ज लुजा के [illegible] पर लालु पिता जीवा सरगड़ा बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी,गढ़ी

Scanned by CamScanner